

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प0 6(1)राज-6/2014/पार्ट-1/30

जयपुर, दिनांक:- 12/4/18

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 26 की उप-धारा (1) सपठित धारा 260 उप-धारा (1) खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में उपखण्ड अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों का, संबंधित जिला कलक्टरों के निर्देश पर राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत सहायक कलक्टरों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के भीतर प्रयोग किया जायेगा।

यह अधिसूचना दिनांक 01.05.2018 से 30.06.2018 तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(रामनिवास जाट)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया।
2. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व।
5. निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
6. समस्त सम्भागीय आयुक्त राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक 12/4/18 में प्रकाशित हेतु।
9. निदेशक, जनसंपर्क राजस्थान को प्रकाशन हेतु।
10. राविरा, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
11. निदेशक, जनसम्पर्क, राजस्थान को प्रेस रिलीज हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव